<u>न्यायालय</u> अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कासगंज।

उपस्थितः–श्री मृदांशु कुमार, उ0प्र0 न्यायिक सेवा

दण्डवाद संख्या–1650 / 2021

CNR NO-UPKR 04-012835-2016

सरकार

बनाम

1.झनकू लाल पुत्र जोगराज,
2. बबलू पुत्र जोगराज,
3. राजवीर पुत्र रामगोपाल,
4. आशीष पुत्र रामवीर,
5. अभिषेक पुत्र रामवीर,
6. नरायन हरी पुत्र दरबारी,
7. मुन्ना पुत्र दरवारी,
8. कैलाशचन्द्र पुत्र जगदीश

निवासीगण–कस्बा मोहनपुरा थाना–सहावर, जिला कासगंज।

.....अभियुक्तगण।

मु0अ0सं0–83 / 2016
धाराः–147,323,504,506भा0दं0सं0।
थाना–पटियाली, जिला कासगंज।

<u>निर्णय</u>

अभियुक्तगण .झनकू लाल,. बबलू, राजवीर, आशीष, अभिषेक, नरायन हरी, मुन्ना एवं कैलाशचन्द्र के विरूद्व पुलिस थाना ढोलना द्वारा मु0अ0सं0–83 / 2016, अन्तर्गत धारा :–147,323,504,506 भा0दं0सं0 में अपराध के विचारण हेतु आरोप पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है वादी मुकदमा ने अपने कथानक में कहा है कि दिनांक 09.03.2016 को 4 बजे की है। उसकें गांव के उचित दर विक्रेता राकेश कुमार को शिकायतों की बात लेकर .झनकू लाल, बबलू, राजवीर,. आशीष,. अभिषेक, नरायन हरी, मुन्ना एवं . कैलाशचन्द्र एक जुट मसवरा होकर वादिया मुकदमा को भद्दी गालियां देकर लात घूसो से मारपीट करने लगे। वादिया मुकदमा गर्भवती महिला है। वादिया मुकदमा के सीने, पेट, कमर मे दब्ब चोटे आयी हैं। वादिया मुकदमा के शोर पुकार पर गांव के प्रमोद कुमार, वीरेन्द्र कुमार दामोंदर, पुत्रगण रामप्रकाश, रघुनाथ, अनिल कुमार आदि लोग मौके पर आ गये जिन्होने वादिया मुकदमा को बचाया चलते उक्त लोगो ने जान से मारने की धमकी देकर भाग गये।

वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना पटियाली पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–83 / 2016 दर्ज की गयी। विवेचक द्वारा बाद तमामी विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण. झनकू लाल,. बबलू, राजवीर,. आशीष,. अभिषेक, नरायन हरी,. मुन्ना एवं . कैलाशचन्द्र के विरूद्व धारा :–147,323,504,506 भा0दं0सं0 के तहत आरोप–पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया।

अभियुक्तगण न्यायालय हाजिर आये। अभियुक्तगण ने अपनी जमानतें करायी। अभियुक्तागण को अभियोजन अभिलेखों की नकलें प्रदान की गई तदुपरान्त अभियुक्तगण .झनकू लाल,. बबलू, राजवीर,. आशीष,. अभिषेक, नरायन हरी,. मुन्ना एवं . कैलाशचन्द्र के विरूद्व धारा :–147,323,504,506,भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया, आरोप से अभियुक्तगण ने इंकार किया एवं विचारण की याचना की गई।

अभियोजन की ओर से अपने कथानक के सर्मथन में साक्षी पी0डब्लू0–1 गिरजादेवी एवं पी0डब्लू0–2 प्रमोद कुमार को परीक्षित कराया गया।

अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें उनके द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताया गया तथा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार किया गया।

विद्वान अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया।

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी0डब्लू0–1 गिरजादेवी जो कि मामले के वादी मुकदमा हैं, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना लगभग 6 साल पूर्व की है शाम के लगभग 5 बजे हुए थे। वह राशन लाने के लिये दुकान पर गयी थी तो वही पर मौजूद .झनकू लाल,. बबलू, राजवीर,. आशीष,. अभिषेक, नरायन हरी,. मुन्ना एवं . कैलाशचन्द्र एक राय मशवरा होकर उसे गालियां देने लगे। मारपीट की जान से मारने की धमकी दी। लडाई झगडे की आवाज में गांव के कई लोग आ गये थे। उसने थाने जाकर एक लिखित तहरीर जोकि अपनी नातिन से लिखवा कर दी थी। पत्रावली मे कागज संख्या–5अ/4 के रूप में संलग्न है जिस पर उसका अंगूठा निशानी है पुष्टि करती है जिस पर प्रदर्श क–1 अंकित किया गया । घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी उसके बयान लिए थे। उसने उन्हें घटना की जगह भी दिखाई थी। उसका इलाज सरकारी अस्पताल पटियाली में हुआ था।

इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि घटना की दिन तारीख व समय के बारे में पता नहीं है ये सच है कि छः साल पूर्व गांव की उचित दर की दुकार पर झगडा हो गया था। दोनो गुट आपस में मारपीट करने लगे। वह भी राशन लेने गयी थीं। भीड में गिर गयी थी। उसे चोटे आयी थी ये सच है कि उसका इलाज सरकारी अस्पताल पटियाली मे हुआ था। मुल्जिमान .झनकू लाल,. बबलू, राजवीर,. आशीष,. अभिषेक, नरायन हरी,. मुन्ना एवं . कैलाशचन्द्र ने उसके साथ गाली गलौज मारपीट व जान से मारने की धमकी नही दी थी। वह पढी लिखी नही है। तहरीर उसकी नातिन ने लिखी थी वह नही बात सकती की तहरीर मे क्या लिखा था। घटना के सम्बन्ध मे पुलिस ने कभी उससे पूछताछ नहीं की ना ही उसके वयान लिए थे।

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी0डब्लू0–2 प्रमोद कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना की दिन तारीख व समय के बारे में उसे जानकारी नहीं है अभियुक्तगण. झनकू लाल,. बबलू, राजवीर,. आशीष,. अभिषेक, नरायन हरी,. मुन्ना एवं . कैलाशचन्द्र ने एक राय मसवरा होकर उसके सामने कोई मारपीट गाली गलौज व जान से मारने की धमकी नहीं दी थी।

इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि .झनकू लाल,. बबलू, राजवीर,. आशीष,. अभिषेक, नरायन हरी, मुन्ना एवं कैलाशचन्द्र ने उसके सामने कोई घटना कारित नहीं की। वह चश्मदीद गवाह नहीं है। पुलिस की सूचना पर गवाई देने आया है।

अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–1गिरजा जो कि मामले का वादिया मुकदमा है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है, किन्तु उक्त साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी द्वारा घटनास्थल पर भीड होने पर भीड में गिर जाने के कारण चोटो का आना बताया है। अभियुक्तगण के उपस्थित होने से इन्कार किया है। घटना के समय घटनास्थल पर होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नही किया गया है। उसने किसी को घटना कारित करते भी नहीं देखा लोगों के बताने के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने गयी। ऐसे में अभियुक्तगण की शिनाख्त साबित नहीं होती। मजरूब का साक्ष्य अन्य साक्ष्यों से प्रबल है, किन्तु मजरूब ने ही अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने से इन्कार किया गया है, चोटो का गिर जाने के कारण आना बताया गया है। घटना के मजरूबा द्वारा अभियोजन कथानक अथवा अभियुक्तगण पर लगे आरोपो के समर्थन में कोई जानकारी होने से इन्कार किया है जो अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं करते। अभियुक्तगण पर लगे अपराधों के आरोपों के आवश्यक तत्वो की पुष्टि भी नहीं करते है उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर अभियुक्तगण पर लगे किसी अपराध के आवश्यक तत्व की पूर्ति नहीं होती।जो

मामले को संदेहास्पन बनाता है तथा अभियुक्तगण.झनकू लाल,. बबलू, राजवीर,. आशीष,. अभिषेक, नरायन हरी,. मुन्ना एवं . कैलाशचन्द्र के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।

उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन अभियुक्तगण झनकू लाल, बबलू, राजवीर, आशीष,. अभिषेक, नरायन हरी, मुन्ना एवं कैलाशचन्द्र के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा :147,323,504,506 भा0दं0सं0 के अपराधों के आरोपों का युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने एवं आवश्यक तत्वों की पूर्ति करा पाने में अभियोजन पूर्णतः असफल रहा है, जो मामले को संदेहास्पन बना देते है। अभियुक्तगण पर लगे आरोप बखूबी साबित नहीं होते है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण झनकू लाल,. बबलू, राजवीर,. आशीष, अभिषेक, नरायन हरी, मुन्ना एवं कैलाशचन्द्र को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में एवं संदेह का लाभ प्राप्त करते हुए अन्तर्गत धाराः–147,323,504,506 भा0दं0सं0 के अपराध के आरोप में दोषमुक्त मुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण. झनकू लाल,. बबलू, राजवीर, आशीष, अभिषेक, नरायन हरी,. मुन्ना एवं कैलाशचन्द्र को दण्डवाद संख्या–1650/2021, मु0अ0सं0–63/2016, थाना पटियाली जिला कासगंज के मामले में अन्तर्गत धाराः–147,323,504,506 भा0दं0सं0 के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांकः 19.01.2023

(मृदांशु कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कासगंज।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः 19.01.2023

(मृदांश ुकुमार)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कासगंज।
J.O.Code.UP 1858